

क्षेत्रीय कार्यालय REGIONAL OFFICE

पंजीकृत पावती देय Registered AD

सी/C-11

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

No.10, Binnypet, BANGALORE - 560,023

संख्य	π/No. KAR . INSPN . 53-25205-101	दिनांक/Dated :	
सेवा	में/то,	. 1 2008	
मैसर्स	No.178/2, New No.47, 2nd Main, 3rd Cross, Nanjappa Layout, Adugodi, BANGALORE 560 030.	12.1 JAN 2008	
विष Sub	य : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनिगम, 1948 का कार्यान्वयन 1(5) के अधीन कारखानों तथा स्थापनाओं के कर्मचारियों Dject : Implementation of the E.S.I. Act, 1948 and Reg Establishments under Section 2(X2)/1(5) of the Ac	का पंजीकरण। istration of Employees of the Factories and	
महोद	दय/Dear Sir/s,		
1)			
1)	आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या		
	It is informed that under Section 1(3) of the E.S.I. Act, 1948 the Centr	al Government has vide notification No	
	dated made the provisions of the Act applicable	e to all factories/establishments covered under the Act	
	within the (Area)		
2)	यह भी सूचित किया जाता है कि समुचित सरकार ने अधिनियम की धारा 1(5)	के अधीन अधिसूचना संख्या दिनांक	
	तारीख से अन्य स्थापनाओं पर अधिनियम के उपबंधों/धाराओं का विस्तार कर दिया है।		
	It is further informed that the appropriate Government has extended the provisions of the Act to other establishment under		
3)	Section 1(5) of the Act with effect from 29 • 2 • 76 SWL 371 • LS I • dt • 24 • 218166 27 • 1 • 85 SWL 371 • LS I • dt • 5 • 1 • 85 अधिनयम की धारा 2क के अधीन ऐसे कारखाने/स्थापना को अधिनियम के अधीन पंजीकृत करना अनिवार्य है तथा अध्याय 4 के अन्तर्गत प्रधान नियोजक की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत कराएं तथा अधिनियम के अधीन व्याप्त सभी कर्मचारियों के अंशदान की अदायगी करें। Under Section 2-A of the Act such a factory/establishments is required to register itself under the Act and chapter IV thereof casts a responsibility on the principal employer thereof to insure his employees and pay contributions in respect of these employees covered under the Act.		
4)	पके द्वारा भेजे गए आपके कारखाने/स्थापना के विवरण के अनुसार दिनांक		
	प्रबन्धक द्वारा आपके कारखाने/स्थापना की निरीक्षण संबंधी निरीक्षण रिपोर्ट के अनु		
70	में अधिनियम की धारा 2(12)/1(5) की सीमा में आता है। फिर भी यदि, बाद	में जाँच करने पर यह बात सामने आती है कि आपका कारखाना/	
	स्थापना उल्लिखित तारीख से पहले व्यप्ति योग्य था तो उस पिछली तारीख से अधि	ानियम की धाराओं का अनुपालन करना आपकी जिम्मेदारी होगी।	
	On the basis of the particulars in respect of your *actors/establis	hment submitted by you, the report of the inspection	
	conducted by the Insurance inspector/Rounds 2000 Conducted by Insurance In	pected your Yactory/establishment on 18.10.2007	
	your fxxxx/ establishment falls within the purview of Section 2(XXIII) of the Act with effect from .1.4.9.20.7.(.P.). In case, however, subsequent facts reveal that your XXXXXIII was coverable from a date prior to the date mentioned above, you shall make yourself liable to comply with the provision of the Act from such earlier date.		
5)	पंजीकरण और अंशदान की अदायगी व रिकार्ड के अनुरक्षण संबंधी कार्रवाई तुर- It is requested to take immediate steps for registration of your em	ध, है कि आप अधिनियम के अधीन व्याप्ति की तारीख से आप अपने कारखाने/स्थापन के कर्मचारियों के घोषणा-पत्र भरने तथा उनके रि अंशदान की अदायगी व रिकार्ड के अनुरक्षण संबंधी कार्रवाई तुरन्त करें तथा रिकार्ड आदि का अनुरक्षण करें। sted to take immediate steps for registration of your employees by submitting Declaration forms, payment of n, maintenance of record etc., from the date of coverage of your factory sestablishment under the Act.	
5)	आपकी सुविधा के लिए कारखाने/स्थापन को कूट संख्या करते समय प्रयोग किया जाए तथा उक्त संख्या सभी फार्मों में यथास्थान दर्शायी जाए को अनुदेश भेज दिए गए हैं, कि ये आपके कर्मचारियों के पंजीकरण से संबंधित अथवा योजना से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए आप उपरिलिखित शाखा	(।में स्थित निगम के शाखा कार्यालय प्रक्रिया में आपकी हर संभव सहायता करें। कोई कठिनाई होने पर	
	सहायता करेंगे।	The state of the s	

- 3) अनुरोध है कि बीमा चिकित्सा व्यवसायियों/राज्य बीमा औषाधलयों की सूचियों का अपने कारखानों/स्थापना में भरसक प्रचार करें ताकि आपके कर्मचारी अपने राज्य बीमा औषधालयों/बीमा चिकित्सा व्यवसायियों का चयन कर सकें। अपेक्षित फार्म आदि उपरिलिखित शाखा कार्यालय से प्राप्त करें जिसके साथ आपके सभी कर्मचारी भी सम्बद्ध होंगे।

 It is requested that publicity may kindly be given to list of insurance medical practitioners, State Insurance Dispensaries to enable your employees to choose their State Insurance Dispensaries/Insurance Medical Practitioner. Required forms etc., may please be collected from the Branch Office mentioned above to which all your employees will also be attached.
- 8) निगम के कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन आपको अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन हेतु हर संभव एवं आवश्यक सहायता सहर्ष प्रदान करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम तथा विनियम के उपबंधों का समय से अनुपालन करेंगे। The Corporation Officials would be pleased to give all necessary and possible guidance to you in discharging your duties and obligations under the ESI Act, 1948 and I am confident of prompt and early compliance under the provisions of the ESI Act and Regiation on your part.
- 9) कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत बैंक शाखाओं की एक सूची संलग्न है। आप अपनी सुविधानुसार इन शाखाओं में से कोई एक शाखा चुनने की कृपा करें और इसकी सूचना इन कार्यालय को तथा भारतीय स्टेट बैंक की संबंधित शाखा को भेज दें तथा केवल उक्त शाखा में कर्मचारी राज्य बोमा राशि जमा करायें। यदि इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर आपसे कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो जिस अधिकृत शाखा विशेष में आपने अंशदन की राशि जमा कराई होगी उसे आपके कारखाने/स्थापन के लिए ''नामित शाखा'' मान लिया जाएगा।

 A list of Bank Branches who are authorised to accept ESI contributions is enclosed. You may choose one of the Branches convenient to you, under intimation to this office and to the concerned branch of the State Bank of India and deposit the ESI dues in that branch only. In case no intimation is received within 15 days of the receipt of this letter, the amount of contribution deposited in one of the specified branch would be considered as "Nominated Branch" for your factory/establishment.
- 10) योजना के अन्तर्गत उपलब्ध/हितलाभों नियोजक आदि के उत्तरदायित्वों की विवरणिका/इश्तहार इसके साथ इस निवेदन के साथ संलग्न है कि योजना के बेहतर कार्यचालन के लिए इसका व्यापक प्रचार करें। A brochure/leafiet containing benefits available under the scheme and obligation of the employer etc. is enclosed herewith with request to give wide publicity towards smooth functioning of the scheme.
- 11) कृपया विलंब से बचने के लिए, सभी पत्राचार में, अपनी कूट संख्या का उल्लेख करें। Please indicate your Code No. on all correspondences to avoid delay.

State Bank of India, Wilson Garden Branch, 472, 12th Cross, Wilson Garden, Bangalore 560 027.

भवदीय/Yours faithfully,

उप निदेशक/DY. DIRECTOR

अनुलग्नक/Encl: As stated above

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित : Copy for information and necessary action to : Paid Rs.39312/- towards advance

- प्रबंधक, शाखा कार्यालय
 The Manager, Branch Office Adugodi
- 2) EDP Centre
- 3) बीमा निरीक्षक
 The Insurance Inspector Wilson Gardeप्रभाग/Division
 प्रधान नियोजक का नाम
 Name of the Principal Employer Srieman

Name of the Principal Employer Sri.M.S.Sriramamurthy, Proprietor Ph:9341099989

कर्मचारियों की संख्या
No. of Employees
21

no. of Employees कारखाना लाइसेंस संख्या, यदि कोई हो Factory Licence No. if any

4) सी-6 शाखा C-6 Branch

5)

उप निदेशक/DY. DIRECTOR